हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 फरवरी, 2019

संख्या लैज. 6/2019.– दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (थर्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 फरवरी, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6

हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2018

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (2) में,– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 3 का संशोधन।

(i) परन्तुक में, ''जनसंख्या'' शब्द से पूर्व ''विद्यमान'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:–

'व्याख्या.– ''विद्यमान जनसंख्या'' से अभिप्राय है, वर्ष, जिसमें निगम का गठन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सुविचारित किया जा रहा है, के लिए बताई गई जनसंख्या, अर्थात्:–

वि.ज.= ज.एक्स (1+ वा.वृ.द/100)सं. ; जहां–

(i) वि.ज.– विद्यमान जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है;

(ii) ज.– धारा (2) के खण्ड (45) में परिभाषित जनसंख्या को निर्दिष्ट करता है;

(iii) वा.वृ.द.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना से प्राप्त प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि दर को निर्दिष्ट करता है;

(iv) सं.– अन्तिम दशवार्षिक जनगणना वर्ष से वर्ष, जिसमें निगम का गठन सुविचारित किया जा रहा है, तक के वर्षों की संख्या को निर्दिष्ट करता है ।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 में धारा 3 क का रखा जाना।

''3क. निगम को समाप्त करने की शक्ति.–(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 3 के अधीन घोषित किसी निगम को समाप्त कर सकती है ।

(2) जब, किसी निगम के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, बनाए गए नियम, उपविधियां, किए गए आदेश, निदेश तथा प्रदत्त शक्तियां, उक्त निगम को लागू नहीं रहेंगे/रहेंगी । अधिसूचना के जारी करने के समय निगम में निहित नगर निधि का अतिशेष तथा सभी अन्य सम्पत्तियां, सरकार में निहित हो जाएंगी तथा निगम के दायित्व, सरकार को अंतरित हो जाएंगे ।

(3) जहां, उप धारा (1) के अधीन कोई निगम समाप्त कर दिया गया है तथा तत्पश्चात् इस प्रकार समाप्त निगम में समाविष्ट क्षेत्र को किसी नगरपालिका परिषद् या नगरपालिका समिति के रूप में घोषित कर दिया जाता है, तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियां तथा दायित्व, इसकी अधिसूचना की तिथि से नगरपालिका परिषद् या नगरपालिका समिति में निहित हो जाएंगे।''।

मीनाक्षी आई0 मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

56845—L.R.—H.G.P., Chd.